

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

Date	Signature of the account holder/s		
Place	(Name and address)		
	For the use of Accounts Office		
(Rupees matured on	ount no		
Necessa	ary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.		
Date	Signature of Postmaster/Manager Seal		

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 917(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।
- 2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो
 - (क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है
 - (ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है
 - (ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रते है
 - (घ) "प्ररुप" से इस योजना से सलंग्न प्रारुप अभिप्रते है।
 - (ड) "साधारण नियम" से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रते है।
 - (च) "वर्ष" से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रते है।
- (2) उन शब्दो और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नही है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में है।
- 3 **खाते का खोला जाना-** (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररुप- 1 में आवेदन पर :-
 - (i) किसी एकल व्यस्क द्वारा;
 - (ii) तीन तक संयुक्त व्यस्क द्वारा;
 - (iii) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;
 - (iv) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति की और से सरंक्षक द्वारा खाता खोला जा सकेगा;
- (2) कोइ व्यक्ति इस के अधीन अधिकतम सीमा के अध्याधीन अधिकतम निक्षेप सीमा जो पैरा 4 के उप पैरा (2) में यथा विहित की गई हैं एकल खाता या संयुक्त खाते एक या एक से अधिक खोल और परिचालित कर सकेगा।

उप पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम निक्षेपों के प्रयोजन के लिए खाताधारक संयुक्त खाते के शेष में आधा या एक तिहाई ऐसे शेष का अंश ले सकेगा मानो खाता दो व्यस्कों या तीन व्यस्कों द्वारा चलाया जा रहा है।

- 4. निक्षेप और प्रत्याहरण- (1) खाता एक हजार रुपये के या एक हजार रुपये के गुणित में किसी रकम के कम से कम निक्षेप से खोला जाएगा और यह किसी खाते में केबल एक निक्षेप होगा।
- (2) पैरा 3 के खण्ड (iii) और (iv) के अधीन खोले गए खाते में अधीकतम चार लाख पचास हजार रुपये एकल खाते में और नौ लाख रुपये संयुक्त खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।
- (3) सभी खाते में निक्षेपों को किसी व्यक्ति के लिए एक साथ हिसाब में लिया जाएगा जो एकल खाते में चार लाख पचास हजार रुपये और संयुक्त खाते में नौ लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।
- **5 निक्षेप पर ब्याज-** (1) इस योजना के अधीन किए गए निक्षेप पर वार्षिक 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज बहन किया जाएगा।
 - (2) ब्याज निक्षेप की तारीख से एक माह के पूरा होने पर खाता धारक को संदेय होगा।
- (3) यदि ब्याज प्रत्येक माह पर संदेय है तो खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ऐसा ब्याज किसी अतिरिक्त ब्याज से अर्जित नहीं किया जाएगा।
- (4) ब्याज निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (5) जहाँ निक्षेप पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के लिए आधिक्य मे किया गया है वहा तत्काल लेखा अधिकारी खाताधारक को आधिक्य निक्षेप को बापस करेगा।
- (6) उप-पैरा पाँच में निर्दिष्ट आधिक्य राशि डाकघर बचत खाते के लिए समय-समय पर लागू दर से ब्याज वहन करेगा और ऐसी राशी पर ऐसे निक्षेपक को संदेय होगा।
- (7) उप-पैरा 6 में विनिर्दिष्ट ब्याज आधिक्य राशि के निक्षेप की तारीख से मास के अंत तक पूर्ववर्ती मास जिसमें निक्षेप बापस किया गया है।
- (8) यदि मासिक ब्याज की संदेय की तारीख पर रविवार या कोई छुट्टी है संदेय तत्काल पूर्ववर्ती रविवार या किसी छूट्टी से कारबार दिवस पर देय माना जाएगा।
- (9) यदि निक्षेप मास की 29, 30 और 31 तारीख पर किया गया है और यदी ये तारीख निम्नलिखित माह में नही आती है तो मासिक ब्याज का संदाय निम्नलिखित माह की अंतिम तारीख पर किया जाएगा और यदी ऐसा अंतिम दिवस छुट्टी है तो मासिक ब्याज पूर्ववर्ती दिवस पर अदा किया जाएगा।
- 6 समयपूर्व खाते को बंद करना— (1) खाता धारक प्ररुप 2 में आवेदन द्वारा ऐसे खाते को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अविध के अवसान के पश्चात किसी भी समय खाते से निक्षेप को प्रत्याहरण और बंद करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा:-
 - (i) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान पर या पहले बंद किया जाता है तो दो प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।
 - (ii) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात बंद किया जाता है तो एक प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।
- **7 खाते को बंद किया जाना- (1)** खाते के खोले जाने समय पर किया गया निक्षेप और उस पर उदभूत ब्याज प्ररुप 3 में आवेदन पर लेखा अधिकारी द्वारा खाता खोले जाने की तारीख से पाँच वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात खाता धारक को संदत किया जायेगा।
- (2) खाते की परिपक्वता से पहले खाताधारक की मृत्यू की दशा में खाता बंद किया जा सकेगा और निक्षेप पुर्ववर्ती मास जिसमें प्रतिदाय किया गया है मास तक ब्याज सहित साधारण नियमों के उपबंधो के अनुसार बापस किया जाएगा।
- **8 साधारण नियमों का लागू होना-** साधारण नियम के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 9 छूट देने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमें के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य

उपबंधो के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रुप में अभिवीदित रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधो की आवश्यकता में छूट दे सकती है।

> [फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1 [पैरा 3 का उपपैरा 1 देखिए] (लने के लिए आवेदनखाता खो)

सेवा में,		
पोस्टमास्टर/प्रबंधक		
	आवेदक,	′आवेदकों का
	फोटो	चिपकाएं
श्रीमान,		
मैं/हम(खाता ध		क में राष्ट्रीय बचत (मासिक आय
खाता योजना) के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदः ः		<i>"</i> "
मैं/हम,रुपए/ ड्राफ्ट संख्यांकतारीख		
ड्राफ्ट संख्याकताराख विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-	आरामक जमाकरूपमान	ावदा करता हू / ह । मरा /हमारा
1. प्रथम जमाकर्ता का नाम	-	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक	ь का नाम	
•		(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में
 दूसरे जमाकर्ता का नाम 		
् पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		्र शब्दों में
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		्र शब्दों में
4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम		
पिता/माता/संरक्षक का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में

5. खाताधारक(कों) का	भाधार संख्यांक	
6. खाताधारक(कों) का र	थायी खाता संख्यांक	
7. वर्तमान पता		
स्थायी पता		
8. संपर्क ब्यौरे	टेलीफोन नं	
	मोबाइल नं	
	ई-मेल आईडी	
9. खाते का प्रकार एकर दिव्यांगजन किसी प्राधिक्		क माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या
10. (*)अवयस्क के जन्म	की तारीख के ब्यौरे	
(अवयस्क के खाते के माग	नले में लागू)	
(क) प्रमाणपत्र	सं	
(ख) जारी होने	की तारीख	
(ग) जारी करने	वाला प्राधिकारी	
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिव	n/विधिक) का नाम	
(अवयस्क/विकृतचित्त	व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में)	
12 अन्य संलग्न केवाईस	ी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत	
	2. पते का सबूत	
1. पासपोर्ट 2. चालन अ	•••	धिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड त्र;
13. खाते का प्रचालन ए	क साथ या उत्तरजीवी खाताधारक/खाताधारकों	(क) सभी धारकों द्वारा
(संयुक्त खाते के मामले में) के द्वारा किया जाएगा	(ख) या तो खाताधारक या खातधारकों के द्वारा
उतरजीवी निक्षेपक/निक्षे	पकों	या
14. मेरा /हमारे नमूने ह	स्ताक्षर	
1	2	3
(नाम)		
1	2	3
(नाम)		
1		2
3	नाम.	
1		2
3	नाम.	

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

15 मै देश में किसी डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता के अधीन आजतक विधमान अपने ब्योरे की घोषणा करता हूँ।

क्रम. सं.	योजना का नाम	खाता खोलने की तारीख	निक्षेप की गई राशि	उपभोक्ता पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघरबैंक / का नाम
1.	राष्ट्रीय बचत मासिक आय					
	खाता					

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
तारीख

नामनिर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लीखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती	अवयस्क के	हकदारी का	हकदारी की
	निर्देशिती(यों)		का आधार	मामले में नाम	अंश	प्रकृति, न्यासी
	का नाम (के		संख्यांक नाम	निर्देशिती के		या स्वामी
	नाम) और संबंध		(वैकल्पिक)	जन्म की		
				तारीख		
1						
2						
3						
4						

	र्देशिती (यां) अवयस्क है/हैं, में श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी	को नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अर्ध	ीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं ।
1. साक्षी के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
2. साक्षी का नाम	
नाम और पता	
	खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
स्थान	
तारीख	

02	THE GAZETTE OF INI	DIA : EXTRAORDIN	ARY	[PART II—SEC. 3(1)]
	पोस्ट ऑफि स/	बैंक के प्रयोग हेतु		
स्कीम के अ खोला गया है।	के नाम में तारीख ग्धीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक			
	 तारीख	द्वारा रजिस	ट्रीकृत किया गया है	
			सक्षम प्राधिकारी	के हस्ताक्षर और मुद्रा
	प्र	रूप 2		
	[पैरा	6 देखिए]		
	(परिपक्वतापूर्व खाता	बंद करने के लिए आवे	दन)	
सेवा में,				

सेवा में,
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक
श्रीमान,
1. मैं अपने खाता संख्यांककेवल) को परिपक्वता पूर्व बंद करने की वांछा करता हूं । आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूं ।
कृपया मेरे बचत खाता संख्यांकस्थत(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें ।
या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें
या
कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)
3. मैं घोषणा करता हूं कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है के उपबंधों की अनुपालना की गई है।
आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-
1.
2.
*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याह्रत/ ऋण की रकमजो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
तारीख:
जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूठा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष	
काटी गई शास्ति की रकमरुपए	
संदत्त की जाने वाली कुल रकम(अंकों में)	
(शब्दों में)	
तारीख मुद्रा पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर	
निस्तारण	
(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)	
रुपए(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांक	तारीख-
को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।	
स्थान:	
तारीखः	
जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अ	गूंठा छाप
प्ररूप 3	
[पैरा 7 का उप-पैरा 1 देखिए]	
(खाते के बंद करने के लिए आवेदन)	
पोस्टऑफिस/बैंक का नाम	
तारीख	
खाता संख्यांक	
1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने/हमारे तारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिक् को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं ।	बेत खाता
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बचत बैंक खाता संख्यांकस्थित (खाता कार्यालय का नाम) करें ।	
या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें	
या	
कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)	
*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकमजो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित	त है।
खानाशास्क (कों) /संस्थक के टस्ताथर गा थं	ग्रज्ञा लाग

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप (लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

संदाय आदेश

	,	_	_	· .
(केवल	कार्यालय	क	प्रयोग	द्रत)
1 11-1 1	141 41 51 4		21 71 71	(5.71)

	तारीख
सं	दाय ब्यौरा
मूल रकम रुपए	
(+) देय ब्याज रुपए	
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए	
रुपए(अंकों में)	(शब्दों में) का संदाय करें ।
स्थान	
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	भुगतान
(जमाकत	िद्वारा भरा जाए)
रुपएक्पएक्षेकों में)को अंतरण को अंतरण	(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख- द्वारा, प्राप्त किए ।
स्थान:	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 917(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-**(1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

- **3. Opening of account.-**(1) The account may be opened by making an application in Form-1 by-
 - (i) a single adult;
 - (ii) upto a maximum of three adults in joint names;
 - (iii) a minor who has attained the age of ten years;
 - (iv) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind.
- (2) An individual may open and operate one or more than one account as a single account or a joint account under this Scheme subject to the ceiling of maximum deposit limit as prescribed in sub-paragraph (2) of paragraph 4.

For the purpose of maximum deposits specified under sub-paragraph (2), the account holder's share in the balance of a joint account shall be taken as one half or one third of such balance as if the account is held by two adults or three adults.

- **4. Deposits and withdrawals.-** (1) The account shall be opened with a minimum deposit of one thousand rupees or any sum in multiple of one thousand rupees and there shall be only one deposit in an account.
- (2) A maximum of rupees four lakh fifty thousand rupees can be deposited in a single account, account opened under clause (iii) and (iv) of paragraph 3 and nine lakhs rupees in a joint account.
- (3) Deposits in all the accounts taken together for an individual shall not exceed four lakh fifty thousand rupees in a single account and nine lakh rupees in a joint account.
- **5. Interest on deposit.-** (1) The deposit made under this Scheme shall bear interest at the rate of 7.6 per cent. per annum.
- (2) Interest shall be payable to the account holder on completion of a month from the date of deposit.
- (3) If the interest payable every month is not claimed by the account holder such interest shall not earn any additional interest.
- (4) Interest shall be rounded off to nearest multiple of one rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (5) Where a deposit in excess to the ceiling specified under sub-paragraph (2) of paragraph 4 has been made, the accounts office shall refund the excess deposit to the account holder immediately.
- (6) The excess amount referred to in sub-paragraph (5), shall carry an interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and shall be payable to such depositor on such amount.
- (7) The interest referred to in sub-paragraph (6) shall be admissible from the date of deposit of the excess amount till the end of the month preceding the month in which the deposit has been refunded.
- (8) If the date of payment of monthly interest falls on Sunday or a holiday, the payment shall be deemed to be due on the business day immediately preceding that Sunday or a holiday.
- (9) If the deposit is made on 29th, 30th and 31st of a month and if these dates do not come in the following month, the payment of monthly interest shall be made on the last date of the following month and if such last day is a holiday, monthly interest shall be paid on the preceding day.
- **6. Premature closure of account.-** The account holder may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after expiry of a period of one year from the date of opening of such account by making an application in Form-2, subject to the conditions that,-
- (i) if the account is closed on or before the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to two per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him; and
- (ii) If the account is closed after the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to one per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him.
- **7.** Closure of account.- (1) The deposit made at the time of opening of the account and the interest accrued thereupon, shall be paid by the accounts office after completion of five years from the date of the opening the account to the account holder on an application in Form-3.
- (2) In case the account holder dies before the maturity of the account, the account may be closed and the deposit shall be refunded as per provisions of the General Rules, alongwith interest upto the month preceeding the month in which refund is made.

- **8. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision have been made in this Scheme.
- **9. Power to relax.-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the depositor, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

To					
	he Postmaster/Manager	Paste photograph of applicant/s			
Sir,					
under	I/We(account National Savings (Monthly Income Ac		by apply for opening of an account Office/Bank.		
	tender herewith Rsdate				
1.	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	Husband/Father /mother's name or C		t		
	Date of Birth	(DD / MM /	YYYY)		
2.	Name of Second Depositor				
	Husband/Father /mother's name				
	Date of Birth	(DD / MM /			
3.	Name of Third Depositor				
	Husband/Father /mother's name				
	Date of Birth	(DD / MM /	YYYY)		
4.	Name of minor account holder				

	Father /mother/guardian's name						
	Date of Bi			(DD / MM / YYYY)			
5	. Aadhar Ni	umber of account h	nolder(s)	(In words)			
	•••••						
6	. Permanen	t Account Number					
7	. Present A						
	Permanen	t Address					
	••••••						
0							
8	. Contact de	ans		Telephone Number			
				Email ID.			
9.	Type of Acco	ount	Sing	gle or Joint or through Guardian for minor or			
				son of unsound mind or blind or differently abled ough authorized person.			
10). (*)Details	of date of birth of					
	(Applicab	le in case of minor	account)				
	(Application a)						
	u)						
	b)	Date of Issue	e				
	c)	 Issuing auth					
	0)		•				
11	. (*) Name	of Guardian (Natur	_				
	(In case th	(In case the account is opened on behalf of a					
	•	son of unsound mi					
12	2. Details of	other KYC docum	ents attached	1. Proof of identification			
				2. Address proof			
				2. Address proof			

The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

	The operation of the			By all the holders	•		
•	In case of joint acc	•	(b) By	either of the hol	der/s, or the s	urviving deposite	or/s,
14. N	My/our specimen S	ignatures					
	ne)				3.,		
	ne)				3		
	ne)				3		
	ne)				3		
2018 app	I hereby undertakelicable on the Sche	eme and amend	dments issued t	hereto from time	to time.		
	reby declare detail in any of the Post of			s on today unde	r National Sa	vings Monthly l	ncome
S.No.	Name of Scheme	Date of opening of account	Amount deposited	Customer Identification Number	Account number	Name of Post office/Bank	
N	National Savings Monthly Income Account						
Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian							
Date:							
			Nomina				
16. I/wehereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in National Savings Monthly Income Account at the time of my death would be payable.							

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

appoint			specified above is/are	
		eath during the minority of	to receive	e the sum due
1. Signature of witness	•	-	or the nonlinee(b).	
Name & Address				
2. Signature of witness				
Name & Address				
Transce Transcess				
		Signature or thumb in	npression of account holder(s) or guardian
Place:				. •
Date:				
	For	r use of Post Office/Bai	nk	
The account has b	peen opened in the na	ame of	on	with
initial	_	deposit	(name	of
			(name	
Customer identification				·
Nomination Namination	has	been	registered	vide
		ed		vide
		FORM - 2		
	(Application	[See paragraph 6] If for premature closure	of account)	
То,	(Аррисации	rior premature closure	or account)	
The Postmaster/Manag	ar.			
	Ci			
Sir,	•••••			
			haviopened under National Savi	
Income Account) Schodetails given below:-	eme and request you	u to pay the amount after	er deduction of applicable p	penalty as per
		my SB Account no (Name of Account offi	o ce).	standing
		or		
Please issue a Demand	Draft/account payee	cheque		
		or		
Please pay in cash (app	olicable if the amoun	t is below permissible lim	nit)	

2.

I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under

the National Savings Monthly Ir	come Account have been complied with.	
Necessary documents as applica	ble are attached as under:-	
1.		
2.		
	sought to be withdrawn/loan to be availedwho is alive and still a Minor.	is required for the use of
Date:	Signature or thumb impression of account holder	r(s)/guardian
(Thumb impression of the depos	itor should be attested by a person known to the	
		,
	For office use only	
	Payment detail	
Eligible balance in Account `		
Less Penalty amount `		
Total Amount to be paid `	(In figures)	
(In words)		
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager	
	Acquittance	
	(to be filled by account holder/ messenger)	
Received Rs	dated/ b	(in words) By cash/ y transfer to Account
Date	Signature/thumb impression of account holder	(s)/guardian
	FORM - 3	
	[See sub-paragraph (1) of paragraph 7]	
	(Application for closure of account)	
Name of Post Office/Bank		Date
Account Number		
1. I/we hereby submit account matured on	pass book/deposit receipt and apply for closur	e of my/our above mentioned
	ount of eligible balance in my matured a standing at (Name of	
	or	
Please issue a Demand Draft/acc	count payee cheque	
	or	
Please pay in cash (applicable if	the amount is below permissible limit).	
*Certified, that the amount	sought to be withdrawn/loan to be availedwho is alive and still a Minor.	is required for the use of
	Signature or thumb impression	of account holder(s)/quardian
	Signature of thumb impression	or account norder (s) guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

	(FOI	office use only)	
			Date
	P	ayment detail	
Principal amount Rs			
(+) Interest due Rs			
(-) Recovery of overpaid interes	st Rs		
Deduction if any Rs			
Total Amount due Rs			
Pay Rs	(in figurers)		(in words)
Date			
			Signature of Postmaster/Manager
		Acquittance	
	(to be	e filled by depositor)	
Received Rs	(In figures)dated	/by trans	(in words) By cash/cheque/DD bearing sfer to Account No
Date:	Signature/thumb impres	ssion of account hold	er(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 918(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात :-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ति निक्षेप योजना 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।
- 2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो
 - (क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है
 - (ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है
 - (ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है